

District Registry Office, Gaya

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं० 814

RIPS No.:-
030119351002400808

चूंकि श्री SHALIGRAM MEHTA AND OTHER ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संकेत में निम्नलिखित संव्यवहारों और अवधारों का निवर्ण प्रमाण पत्र दिया जाय।
एकदम प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवधारों के बारे में वही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में ता० 01/01/1992 से ता० 22/02/2024 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवधारों का पता चला है:-

क्रम संख्या	कार्यालय	अंचल	मीजा/वार्ड नं०	खाता	खेसरा रकबा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य	जिल्द संख्या	पृष्ठ सं०	पृष्ठ तक	वर्ष
1	GAYA SADAR	MANPUR 315	MASTALIPUR	113	190	1 ACR 35 DECIMAL	0				
2	GAYA SADAR	MANPUR 315	MASTALIPUR	TRAN 1			0				

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवधारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले कोई अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है। निम्नलिखित व्यक्ति न तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया:-

नाम - MAZHAR ALAM
UdC

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जांच निम्नलिखित व्यक्ति ने की:-

नाम - Amit Kumar
L.D.C

कार्यालय -

District Registry
Office, Gaya

तारीख -

04/03/2024

टिप्पणी-

1. इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये है वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्सन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वह और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेंगी।

3. किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।

4. और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा दूँदे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक:- 1369 दिनांक:- 04/03/2024

शाखा प्रबंधक UNION BANK BRA GAYA के पत्र दिनांक 29/02/2024

के आलोक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर